भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3855 का उत्तर

संसद सदस्यों के अनुशंसा पत्रों का दुरुपयोग

3855. श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री इटेला राजेंदर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यात्रियों के प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के कंफर्मेशन के लिए अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा माननीय केन्द्रीय मंत्रियों, माननीय संसद सदस्यों जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से अनुशंसा पत्र प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत चालीस वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे अनुशंसा पत्रों का ब्यौरा क्या है और श्रेणी-वार ऐसे प्रतीक्षा-सूची वाले टिकटों के कंफर्मेशन की संख्या विशेषकर तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यों से प्राप्त सिफारिशी पत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को विगत पैंतीस वर्षों के दौरान कुछ ट्रेवल एजेंटों और रेलवे कर्मचारियों द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों के उक्त पत्रों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है अथवा संज्ञान में आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या रेलवे इन मुद्दों का समाधान खोजने और इस संबंध में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए संसद सदस्यों के साथ बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): उच्चाधिकारी मांग (एचओआर) धारकों, जिसमें केन्द्र सरकार के मंत्री, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संसद सदस्य और अन्य तात्कालिक मांगें

शामिल हैं, की अत्यावश्यक यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गाड़ियों और विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटा के रूप में सीमित संख्या में बर्थ/सीट निर्धारित किए गए हैं। कोटा पूर्वता-अधिपत्र और लंबे समय से अपनाई जा रही सुस्थापित पद्धति के अनुसार रेलों द्वारा जारी किया जाता है। चूंकि विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं और दिन-प्रतिदिन के आधार पर उन पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए आपातकालीन कोटा से बर्थों को आबंटित करने के लिए प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे केवल विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखे जाते हैं।

आपातकालीन कोटा जारी करने के अनुरोधों पर विचार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबधित व्यापक अनुदेश पहले से ही उपलब्ध हैं और ऐसे अनुरोधों पर विचार करते समय इनका पालन किए जाने की उम्मीद रखी जाती है। बहरहाल, यदि ट्रेवल एजेंटों सहित अवांछित तत्वों द्वारा आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाती है और विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार यथा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, ऐसी शिकायतों के कोई केन्द्रीकृत आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

*****